न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 11/18

तारीख रजू:– 11.9.2018

पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)

उनवान

प्रहलाद दत्तक पुत्र काडू मीना निवासी मोहनपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

अपीलांट

बनाम

1. ग्राम पंचायत धवान जरिये सरपंच ग्राम पंचायत पदमपुरा।
2. गौरया पुत्र उँकारया
3. श्रीमान पुत्र गोकल
4. हरिमोहन पुत्र गोकल
5. पानबाई पुत्री गोकल
6. दुलारी पुत्री गोकल

समस्त जातियान मीना निवासीयान मोहनपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

रेस्पोडेन्ट

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज०

अपील विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत घवान
नामांतकरण सख्या 842 दिनांक 05.11.2017 ग्राम मोहनपुरा
उपस्थिति:– श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट (अपीलांट)

निर्णय

दिनांक:– 24.02.2020

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी ख0न0 328/0.13, 329/0.10, 330/0.15, 341/0.19, 362/0.18, 557/0.16, 558/0.20, 2462/0.45, 2462/2813/0.43, 2580/0.14 कुल किता 11 कुल रकवा 2.56 है0 ग्राम मोहनपुरा मे स्थित है जो अपीलांट के दत्तक पिता काडू, गोकल, गौरया पुत्र उँकारया के नाम थी। अपीलांटस एवं रेस्पो0 2 ता 6 एक ही बुजुर्ग की संताने है। उक्त आराजीयात मे अपीलांटस के दत्तक पिता काडू, बहिस्सा 1/3 गोकल बहिस्सा 1/3, गौरया बहिस्सा 1/3 की खातेदारी दर्ज थी। काडू के फौत हो जाने के बाद उक्त आराजी का विरासत का नामांतकरण अपीलाट के नाम बहिस्सा 1/3 खुलना चाहिये था। जबकि रेस्पो0 न0 2 ता 6 द्वारा राजस्व कर्मचारियो से तथा रेस्पो0 2 ता 6 के हक मे विरासत का नामांतकरण संख्या 842 दिनांक 5.11.2017 खुलवा लिया तथा उसकी भनक भी अपीलांटस को नही होने दी, इस बिना पर नामांतकरण निरस्त फरमाये जाने योग्य है।

रेस्पो0 न0 1 ने भली प्रकार इल्म होने के बावजूद भी उक्त आराजीयात के 1/3 हिस्से पर अपीलाटस काबिज है तथा काडू के हिस्से मे पिछले 40 वर्षो से काबिज है, बिना कब्जे की जॉच कराये कथित नामांतकरण तस्दीक कर कानूनी भूल की है। इस बिना पर नामांतकरण निरस्त फरमाये जाने योग्य है। अपीलाटस के पिता को फौत हुये काफी अरसा हो जाने के बाद ग्राम पचांयत सरंपच को नामांतकरण तस्दीक करने का अधिकार नही रहता है। तथा अपने अधिकारो से परे जाकर नामांतकरण तस्दीक किया है। जो निरस्त फरमाये जाने योग्य है। रेस्पो0 न0 1 को यह भी ज्ञात है कि आराजी विवादग्रस्त के 1/3 हिस्से पर काडू काबिज है तथा काडू के फौत हो जाने के पश्चात गोकल फौत हुआ है। जिसका नामांतकरण सख्या 601 दिनांक 13.2.14 को रेस्पो0 3 ता 4 के हक मे खुल चुका है यह प्रकरण अनडियस प्यूरेट होता तो काडू की विरासत का नामांतकरण सन 2014 से पूर्व भी गौरया गोकल के नाम खुल चुकी होती है। पटवारी हल्का से उक्त नामांतकरण खुलने का दिनांक 23.7.18 पता चलने पर नामांतकरण की नकल लेकर अपील पेश की है अपील अन्दर योम जानकारी पेश है दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

अतः अपील अपीलांटस पेश कर अर्ज है कि अपील अपीलांटस स्वीकार फरमायी जाकर नामांतकरण स0 842 दिनांक 5.11.2017 ग्राम पंचायत धवान को निरस्त फरमाया जाकर काडू का 1/3 हिस्से का नामांतकरण तस्दीक फरमाने के आदेश पारित करने की कृपा करे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो0 3, 4, 5, 6 जरिये वकील उपस्थित हुये। रेस्पो0 1 व 2 बावजूद सूचना उपस्थित नही आये। मूल नामांतकरण तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस मे वकील अपीलांट ने अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहरया कि वर्णित आराजीयात अपीलांट के दत्तक पिता काडू,गोकल, गौरया पि0 उंकारया के नाम थी। इस प्रकार अपीलांट के दत्तक पिता काडू के नाम 1/3 हिस्सा की खातेदारी दर्ज थी। काडू के हिस्से की खातेदारी अपीलांट के नाम होनी चाहिये थी किन्तु रेस्पो0 ने साज करके विरासत का नामांतकरण न0 842 अपने नाम खुलवालिया। विधान सभा निर्वाचक नामावली 1980 भाग संख्या 51 के कम स. 539, आधार कार्ड, पैनकार्ड, जाति प्रमाण पत्र, सैकण्डरी स्कूल के प्रमाण पत्र , विधालय के स्थानांन्तरण प्रमाण पत्र आदि मे अपीलांट का नाम प्रहलाद पुत्र काडू राम दर्ज हो रहा है। अतः यह नामांतकरण खारिज फरमाते हुये अपीलांट का हिस्सा 1/3 दर्ज करवाते हुये पुनः नामांतकरण दर्ज करने के आदेश फरमावे।

रेस्पो0 के वकील ने अपनी बहस मे कथन किया कि काडू लाऔलाद फौत हुआ इसने प्रहलाद या अन्य किसी भी व्यक्ति को गोद नही लिया नाही अपीलांट ने कोई गोदपत्र पत्रावली मे शामिल किया है। जब काडू ने कोई गोद ही नही लिया तो अपीलांट के नाम खातेदारी नही की जा सकती है। नामांतकरण विरासत का वैधानिक रूप से खोला गया है। अपीलांट प्रहलाद द्वारा बदयान्ति पूर्वक रिकार्ड मे प्रहलाद पुत्र काडूराम लिखवा लिया है जिससे यह साबित नही माना जा सकता कि काडू राम ने प्रहलाद को गोद लिया हो। और यह भी की अपीलांट द्वारा किसी प्रकार रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड गोदनामा की प्रति प्रमाण स्वरूप पेश नही की है। इसलिये अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। विधान सभा निर्वाचक नामावली 1980 भाग संख्या 51 के कम स. 539, आधार कार्ड, पैनकार्ड, जाति प्रमाण पत्र, सैकण्डरी स्कूल के प्रमाण पत्र , विधालय के स्थानांन्तरण प्रमाण पत्र आदि मे अपीलांट का नाम प्रहलाद पुत्र काडू राम दर्ज हो रहा है। परन्तु अपीलांट द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया है, जिससे यह साबित होता हो कि काडूराम ने अपीलांट प्रहलाद को गोद लिया हो। इन दस्तावेजो मे पिता के रूप मे काडूराम का नाम दर्ज होने से काडूराम द्वारा प्रहलाद को गोद लिया जाना मानना उचित नही पाता हूँ।

अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

24/2/2020
(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी
टोडाभीम जिला करौली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2020.03.04 15:35:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: